

मु०मं०ग्रा०रो०यो० बिल (दावा फार्म)

आरक्षित वर्ग हेतु

(अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक)

(बैंक द्वारा दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा)

बैंक का नाम:-.....

उद्यमी का नाम व पता:-.....

.....

सेवा में,

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/
प्रबन्धक ग्रामोद्योग
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जिला

महोदय,

ब्याज उपादान/मु०मं०ग्रा०रो०यो० प्रमाण पत्र सं०.....दिनांक..... जो कि जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी बोर्ड जिला.....द्वारा जारी किया गया है। हम सुनिश्चित करते हैं कि टर्म लोन मद में रुपये.....उपरोक्त उद्यमी को स्वीकृत किया गया है।

उक्त खाते/खातों पर ब्याज दर क्रमशः रु०.....वार्षिक है, को स्वीकृत किया गया है।

बिल का विवरण निम्नवत् हैं:-

ऋण धनराशि		ब्याज की धनराशि बैंक की सामान्य दरों पर			बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि
मूल स्वी०	बकाया धन०	अवधि	दर	धन०	
कायशील पूंजी					
सावधि ऋण					


हम प्रमाणित करते हैं कि ब्याज उपादान की उक्त धनराशि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से बैंक को इसके पूर्व प्राप्त नहीं हुई है।

अग्रिम रसीद

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ में धनराशि रु०..... मु०मं०ग्रा०रो०यो० दिनांक.....से दिनांक.....तक श्री..... के पक्ष में प्राप्त किया।

उद्यमी के हस्ताक्षर व पूरा नाम

एक रु० के रसीदी टिकट पर


उप मुख्य कार्यप्रदायक अधिकारी
(मु.मं.ग्रा.रो.यो.)
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
लखनऊ

शाखा प्रबन्धक के
हस्ताक्षर (मुहर सहित) :